तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
9.10.25	**आसी देवी बनाम जमना देवी आदि** प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी व सपठित धारा 151 सीपीसी पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी अभिभाषक श्री राजेश श्रीवास्तव उपस्थित। अप्रार्थी/वादी अभिभाषक रोशन आरा उपस्थित। पत्रावली में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02, 8 ता 11 की ओर से जरिये अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। 1. प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वाद धारा 53, 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है जो बिना किसी विधिक अधिकार के पेश किया गया है। वादगत भूमि सह–खातेदारान के मध्य ग्राम रिडमलसर पुरोहितान के खसरा नंबर 122, 123, 124, 125, 173, 275, 277, 287, 294, 326 374 374 297, कुल खसरे 12 कुल तादादी 30.16 हैक्टेयर स्थित है। वादगत भूमि पर वादीया ने अपने संयुक्त व अविभाजित हिस्से को जरिये दस्तावेज रिलीज डीड के जरिये अपनी माता श्रीमती जमना पत्नी स्व. कालूराम के हक में दस्तावेज रिलीज डीड उपपंजीयक II बीकानेर के यहां दिनांक 13.01.2014 को विधिवत रूप से पंजीबद्ध करवाकर हक त्याग कर दिया था ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा ही शेष नहीं रहा। अतः दावा मेलाफाईड इन्टेशन से पेश किया गया है तथा वादीया द्वारा अपने हिस्से का त्याग कर दिये जाने के उपरांत उक्त रिलीज डीड को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है व वादीया द्वारा अपने हिस्से का परित्याग करने तथा वादीया की बहिनों द्वारा भी हक त्याग करने पश्चात उक्त भूमि पर शेष हिस्सेदारान द्वारा खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन	

करवाया हुआ है तथा सह–खातेदार द्वारा अपने हिस्से अनुसार कुछ हिस्सा धीरज चायल, श्यामलाल चायल, रामेश्वरलाल चायल को विक्रय किया जा चुका है तथा वर्तमान में इनका नामांतरण भीदर्ज किया जा चुका है उसके उपरांत वादीया द्वारा इन्हें पक्षकार संयोजित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त दावा की उद्देश्य ही समाप्त हो चुका है अतः दावा बार्ड बाई लॉ एवं वादकारण के अभाव में खारिज योग्य है।

2. प्रत्युत्तर में अप्रार्थी/वादी अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि **वादीनी ने अपना हिस्सा जरिये रिलीज डीड द्वारा अपनी माता जमना देवी के हक में 13.01.2014 को त्याग कर दिया गया है। स्थिति इस प्रकार** है कि जमना देवी प्रार्थीनी की रियल माता नहीं है उसकी सौतेली माता है। उसके पिता ने अपने जीवन काल में चार विवाह किये थे जिसमें प्रथम विवाह गुड्डी देवी से किया जिसकी कोई संतान ही थी। उसके गुजरने के पश्चात दूसरा विवाह रमा देवी से किया, तीसरा विवाह प्रेमी देवी से किया जिसकी पुत्री प्रार्थीनी तथा अप्रार्थीनी संख्या 04 दुर्गा देवी है। चौथा विवाह **उसके पिता ने जमना देवी से किया जो अप्रार्थी संख्या 01 है।** जमना देवी उसकी सौतेली माता है। उसको अपना हिस्सा जरिये रिलीज डीड देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है उसने अपने हिस्से की कोई रिलीज डीड नहीं की है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को वादगत भूमि का खाता विभाजन कराए जाने का कहकर उक्त दस्तावेजात पर अंगूठा निशानी करवायी जाकर वादीया के नाम से स्टाम्प लिए गए तथा इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादीनी को झूठ बोलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए है ऐसे में उक्त रिलीज डीड स्वत शून्य है। वादी ने अपने हिस्से के लिए बंटवारे बाबत दावा प्रस्तुत किया है इसमें वादीया का मेलाफाईड इंटेंशन नहीं है क्लीन हैण्डस से दावा प्रस्तुत किया गया है तथा वादपत्र में तारीख सहबन वश छूट गयी थी उसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत की गयी है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

3. प्रार्थी/प्रतिवादी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि पर वादीया ने अपने संयुक्त व अविभाजित हिस्से को जरिये दस्तावेज रिलीज डीड के जरिये अपनी माता श्रीमती जमना पत्नी स्व. कालूराम के हक में दस्तावेज रिलीज डीड को विधिवत रूप से पंजीबद्ध करवाकर हक त्याग कर दिया था ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा ही शेष नहीं रहा। अतः दावा मेलाफाईड इन्टेशन से पेश किया गया है तथा वादीया द्वारा अपने हिस्से का त्याग कर दिये जाने के उपरांत उक्त रिलीज डीड को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है तथा सह-खातेदार द्वारा अपने हिस्से अनुसार कुछ हिस्से को विक्रय किया जा चुका है तथा वर्तमान में इनका नामांतरण भी दर्ज किया जा चुका है उसके उपरांत वादीया द्वारा इन्हें पक्षकार संयोजित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त दावा की उद्देश्य ही समाप्त हो चुका है अतः दावा बार्ड बाई लॉ एवं वादकारण के अभाव में खारिज योग्य है।

- इसके अतिरिक्त अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दृष्टांत RLW 2013 (1) RJ 81 इस आधार पर पेश किया गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुच्छ मुकदमों को इस आधार पर जारी रखना कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं है। **जिसमें धारा 151 सीपीसी प्रावधानों के तहत न्यायालय अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाद खारिज कर सकता है।**

4. इसके प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीग/वादीया द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि वादगत भूमि कृषि भूमि है मेरे पिता की कृषि भूमि रही है। विरासतन मेरे नाम से हिस्से अनुसार नामांतरण दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को खाता विभाजन/बंटवारा करवाने का कहकर फर्जी रूप

से अंगूठा निशानी करवायी जाकर यह रिलीज डीड करवायी गयी है जो मुझ वादीया द्वारा निष्पादित नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत SCC Vinod Infra Developers Ltd v/s Mahaveer Lunia 23-05-25 पेश किया।

5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत राजस्व वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के जरिए वादगत भूमि वादी का कब्जे के अभाव व वाद कारण हासिल नहीं होने, बार्ड बाई लॉ की श्रेणी व राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से बाहर होने के तथ्यों के साथ अप्रार्थी/वादी का वाद चलने योग्य नहीं बताया।

इस संबंध में आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है:-

आदेश 07 नियम 11:- वादपत्र का नामंजूर किया जाना-

(क) जहां वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वार अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है

{(ड.) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है}

(च) जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है

[परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय

तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।

7. उक्त आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र के नामंजूर करने की जो शर्ते दी गई है वहां मुख्य रूप से वाद कारण प्रकट नहीं किया गया हो अथवा वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता हो कि वादी किसी विधि द्वारा वर्जित है तो ऐसे वाद को वाद पत्र के अवलोकन किये जाने के पश्चात खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुच्छ मुकदमों को इस आधार पर जारी रखना कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं है। उनमें धारा 151 सीपीसी प्रावधानों के तहत न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाद खारिज कर सकता है।

9. अतः हमें यह देखना है कि क्या यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत अस्वीकार/नामंजूर किये जाने योग्य है।

10. उक्त आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वादीया द्वारा उक्त वादपत्र धारा 188, 53 आरटीए के तहत वादगत भूमि पर खाता विभाजन व चिर स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। वादीया का मुख्य अनुतोष यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी तरह से वादीया से रिलीज डीड

निष्पादित करवायी गयी जिसे शून्य मानते हुए वादगत भूमि पर वादीया 1/11 हिस्से अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

11. पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, वादपत्र के कथनों व उभयपक्ष की बहस पर मनन करने उपरांत वादगत भूमि पर अभिलेखिय स्थिति इस प्रकार है कि वादगत भूमि वादीया आसी देवी को विरासतन नामांतरण संख्या 719 से प्राप्त हुई। वादगत भूमि पर वादीया अपने सह–हिस्सेदारान के साथ सह–खातेदार रही है परंतु वादीया आसी देवी द्वारा अपने 1/9 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 जमना देवी के पक्ष में रिलीज किया गया जो कि उपं पजीयक द्वितीय बीकानेर के क्रस 2014000199 दिनांक 13.01.2014 पर पंजीबद्ध है। उक्त रिलीज डीड उपरांत वादगत भूमि पर खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्सेनुसार रजिस्टर्ड बैयनामा के जरिये बेचान किया गया।

12. अत हमारी राय में वादीया द्वारा वादपत्र बंटवारा बाबत पेश किया है जबकि वादीया द्वारा वादगत भूमि पर अपने हिस्से का पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये रिलीज किया जा चुका है। वादीया रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा उनके द्वारा स्वयं अपने जवाब व बहस में यह स्वीकार किया गया कि निष्पादित रिलीज डीड फर्जी–कूटरचित तौर पर करवायी गयी है जबकि रिलीज डीड किए जाने के इतने वर्षों बाद तक रिलीज डीड को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है। अतः रजिस्टर्ड दस्तावेजों को रद्दीकरण/निरस्तीकरण का अनुतोष प्रदान किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को ना प्राप्त होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसे में वादपत्र राजस्थान काश्तकारी प्रावधानों की जिस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है वो पोषणीय नहीं है। इस प्रकार वादपत्र कानूनी तौर पर बोगस व विधि से वर्जित है तथा वादपत्र के वादहेतुक–वादकारण भी अनावश्यक मनगढंत कहानी के रूप से सृजित किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 07 नियम 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण बार्ड बाई लॉ, क्षेत्राधिकार से बाहर होने व अनावश्यक सृजित वादकारण होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)